रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि0स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–40/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज

1852–राजपत्र/2005–9–8–2005–1,460. (2311) मूल्य : 1 रुपया।

दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह 21 जून, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 5 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5 में उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— का

"(1) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए;

(ख) राजकोषीय घाटे को, कुल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने हेतु, उत्तरोत्तर कम करने के लिए; और

(ग) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रत्याभूतियों को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत तक समाप्त न

कर दें, जिस के लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है,

प्रयास करेगी ।"।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सरकारी, पब्लिक सेक्टर और सहबद्ध संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या और सम्बन्धित वेतन के ब्यौरे ।"।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए उपाय;

(ख) धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन राजकोषीय सूचक;

(ग) धारा 3 की उप–धारा (4) के अधीन मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान का स्वरूप;

(घ) धारा 6 की उप–धारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रकटीकरण के लिए विवरणों का स्वरूप; और

(ङ) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट का स्वरूप।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 राज्य विधान सभा के इस वर्ष के बजट सत्र में अधिनियमित किया गया था। इसी बीच भारत सरकार के बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक राज्य निम्नलिखित न्यूनतम उपबन्धों सहित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अवश्य अधिनियमित करे :—

(क) 2008–09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए;

(ख) सकल राज्य घरेलू उत्पाद या इसके समतुल्य, जो राजस्व प्राप्ति के ब्याज संदाय के अनुपात के रूप में परिभाषित है, के तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा कम करने के लिए;

(ग) राजस्व और राजकोषीय घाटों के वार्षिक कमी लक्ष्यों को स्पष्टतया अभिव्यक्त करने के लिए;

(घ) राज्य की अर्थ व्यवस्था और सम्बन्धित राजकोषीय नीति के लिए सम्भाव्यताओं को दर्शाते हुए वार्षिक विवरण को स्पष्टतया अभिव्यक्त करने के लिए;

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर और सहबद्ध संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या और उनसे सम्बन्धित वेतन के ब्यौरे देते हुए बजट सहित विशेष विवरण को स्पष्टतया अभिव्यक्त करने के लिए।

वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों को 31 मार्च, 2004 तक अनुबंधित और 31 मार्च, 2005 तक परादेय केन्द्रीय ऋण 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ बीस वर्ष की नई अवधि के लिए समेकित और पुनःनियत किए जाएंगे, यदि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम को इस की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियमित करता है।

अतः उपर्युक्त अधिनियम को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाने के लिए इसे उपयुक्त रूप से संशोधित करना अनिवार्य समझा गया।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का 14) में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 4) 18 जून, 2005 को प्रख्यापित किया गया था । उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनिगमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थिापित करने के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख....., 2005.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इस प्रकार राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का 14) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख :....., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2005

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of June, 2005.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:— 14 of 2005

"(1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall endeavour to—

(a) reduce revenue deficit every financial year compared to previous financial year to eliminate revenue deficit by March, 2009 and generate revenue surplus thereafter;

(b) progressively reduce fiscal deficit to bring it to three percent of Gross State Domestic Product; and

(c) progressively reduce its outstanding guarantees on long term debt, until it can cap outstanding risk weighted guarantees at eighty percent of total revenue receipt in the preceding financial year for which actuals are available as per finance accounts.".

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:— Amendment of section 6.

"(c) the details of number of employees in Government, Public Sector and Allied Institutions and related salaries.".

4. In section 8 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 8.

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the measures for evaluation of the fiscal position of the State Government under clause (f) of section 2;

(b) the fiscal indicators under sub-section (2) of section 3;

(c) the form of medium term fiscal plan under sub-section (4) of section 3;

(d) the form of statements for disclosure under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 6; and

(e) the form of review report under sub-section (1) of section 7.".

5. (1) The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 4 of 2005 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted in the Budget Session of the State Legislative Assembly this year. In the mean time the 12th Finance Commission Government of India presented its report, recommending that each State must enact Fiscal Responsibility Legislation with the following minimum provisions:—

(a) Eliminating revenue deficit by 2008-09;

(b) Reducing fiscal deficit to 3% of Gross State Domestic Product or its equivalent defined as ratio on interest payment to revenue receipt;

(c) Bringing out annual reduction targets of revenue and fiscal deficits;

(d) Bringing out annual statement giving prospects for the State economy and related fiscal strategy;

(e) Bringing out special statements along with the budget giving in details number of employees in Government, Public Sector and Aided Institutions and related salaries.

The Finance Commission further recommended that Central Loans to the States contracted till 31st March, 2004 and outstanding on 31st March, 2005 would be consolidated and rescheduled for fresh term of 20 years with an interest rate of 7.5%, if the States enact Fiscal Responsibility and Budget Management Act in line with its recommendations. Thus, in order to bring the Act in conformity with the recommendations of the 12th Finance Commission, it was considered essential to amend the same suitably.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (14 of 2005) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor , Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of article 213 of Constitution of India, the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Ordinance, 2005 (Ordinance No. 4 of 2005) on the 18th day of June, 2005 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 21st day of June, 2005. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Act. This delegation is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
The....., 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश–171005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित